

खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-03)
अंक-88

बुधवार ————— 08 अगस्त, 2018
17 श्रावण, 1940

दिल्ली विधान सभा

की
कार्यवाही



सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-06 सत्र-07 (भाग-03) में अंक 86 से अंक 90 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-7 (भाग-03) बुधवार, 08 अगस्त, 2018 / 17 श्रावण, 1940 (शक) अंक-88

- | | |
|------------------------------------|-----|
| 1. सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची | 1-2 |
| 2. निबंध संबंधी उल्लेख | 3-7 |

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-7 (भाग-03) बुधवार, 08 अगस्त, 2018 / 17 श्रावण, 1940 (शक) अंक-88

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:20 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. शरद कुमार | 10. श्री राजेश गुप्ता |
| 2. श्री संजीव झा | 11. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी |
| 3. श्री पंकज पुष्कर | 12. श्री सोमदत्त |
| 4. श्री अजेश यादव | 13. सुश्री अलका लाम्बा |
| 5. श्री महेन्द्र गोयल | 14. श्री विशेष रवि |
| 6. श्री रामचन्द्र | 15. श्री हजारी लाल चौहान |
| 7. श्री सुखवीर सिंह दलाल | 16. श्री शिव चरण गोयल |
| 8. श्री ऋतुराज गोविन्द | 17. श्री गिरीश सोनी |
| 9. श्री रघुविन्द्र शौकीन | 18. श्री जरनैल सिंह |

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19. श्री आदर्श शास्त्री | 30. सरदार अवतार सिंह
कालकाजी |
| 20. सुश्री भावना गौड़ | 31. श्री राजू धिंगान |
| 21. श्री सुरेन्द्र सिंह | 32. श्री मनोज कुमार |
| 22. श्री विजेन्द्र गर्ग | 33. श्री नितिन त्यागी |
| 23. श्री प्रवीण कुमार | 34. श्री ओमप्रकाश शर्मा |
| 24. श्री मदन लाल | 35. श्री एस.के. बग्गा |
| 25. श्रीमती प्रमिला टोकस | 36. श्री अनिल कुमार बाजपेयी |
| 26. श्री नरेश यादव | 37. श्रीमती सरिता सिंह |
| 27. श्री करतार सिंह तंवर | 38. श्री श्रीदत्त शर्मा |
| 28. श्री अजय दत्त | 39. चौ. फतेह सिंह |
| 29. श्री सौरभ भारद्वाज | 40. श्री जगदीश प्रधान |
| | 41. श्री कपिल मिश्रा |

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र-7 (माग-03) बुधवार, 08 अगस्त, 2018 / 17 श्रावण, 1940 (शक) अंक-88

सदन अपराह्न 2.20 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(शोक संवेदना)

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। ट्रैफिक में जाम के कारण देरी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसा कि आप सब को विदित है; कल तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री एम. करुणानिधि का निधन हो गया।

दिनांक 07 अगस्त, 2018 को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एम. करुणानिधि का चेन्नई में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे और काफी दिनों से बीमार थे। अपने छ: दशक के राजनीतिक कैरियर के दौरान उन्होंने हर चुनाव में जीत हासिल की। वे तमिलनाडु के पाँच बार मुख्यमंत्री रहे। वे बहुमुखी प्रतिभावान थे और उन्होंने कई पुस्तकों और तमिल फिल्मों के लिए पटकथाएँ भी लिखी। उनकी कलात्मक प्रतिभा के कारण ही उन्हें कलैंगर अर्थात् कलाकार कहा जाता था। उन्होंने तमिल साहित्य, तमिल सिनेमा और

तमिल राजनीति तीनों क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। उनके निधन से द्रविड़ राजनीति के एक युग का अंत हो गया और उनकी कमी को हमेशा महसूस किया जाता रहेगा। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री एम करुणानिधि के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विजेन्द्र जी, कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री विजेन्द्र गुप्ता: आदरणीय अध्यक्ष जी, स्व. श्री करुणानिधि जी के निधन से एक युग का अन्त हो गया है। उनकी कमी की भरपाई कर पाना सम्भव नहीं होगा। उन्होंने तमिल ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय मंच पर भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो काम किया, वह सदैव याद किया जाएगा। वह पाँच दशक तक तमिल राजनीति के केन्द्र रहे। उन्होंने द्रविड़ अस्मिता की आवाज बुलंद करी। वह एक कुशल राजनेता के साथ सफल लेखक, कवि, विचारक और वक्ता थे। पाँच बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं 50 साल तक पार्टी प्रमुख रहने वाले करुणानिधि जी एक असाधारण संगठनकर्ता थे। उन्होंने 13 बार विधानसभा चुनाव लड़े और कभी नहीं हारे। इस अवसर पर पूरा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और लोकतंत्र को मजबूत करने वाले एक ऐसा योद्धा जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी संयम का रास्ता नहीं छोड़ा, आज इस लिए पूरे देश का एक-एक नागरिक, एक-एक राजनैतिक दल इस परिवार के साथ है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं।

मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शान्ति-शान्ति।

माननीय अध्यक्ष: माननीय उप मुख्य मंत्री, श्री मनीष सिसोदिया जी।

उप मुख्य मंत्री: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको विदित है एम करुणानिधि साहब का कल निधन हुआ। वो राजनीतिक एक बड़े योद्धा रहे। आपने खुद जिक्र किया कि राजनीति के स्क्रिप्ट राइटर थे वो। उनके निधन से भारतीय राजनीति को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने भी बात रखी की कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और तमिल भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने राजनीति के अलावा तमिल साहित और सिनेमा में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे कभी चुनाव नहीं हारे और अपने जीवन के नौवें दशक में भी वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे। दक्षिण भारत की राजनीति में उनके इस एक प्रमुख स्तम्भ के निधन से जो शून्य उत्पन्न हुआ है, उसे भर पाना लम्बे समय तक सम्भव नहीं होगा। उनकी दो चीजें जो मैं व्यक्ति रूप से और मैं कहूँ कि हमारी विचारधारा के प्वाइंट ऑफ व्यू से भी देश की एक राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्र के प्वाइंट ऑफ व्यू से भी जब उनसे पूछा गया कि आपके लिए ईश्वर कौन है? "मेरी अंतरात्मा मेरा ईश्वर है।" इस समय जब धर्म, जाति और इन सब में बटे हुए समाज के बीच में किसी राजनेता द्वारा और एक प्रमुख राजनेता द्वारा जिसको लाखों लोग फोलो करते हों, करोड़ों लोग फोलो करते हों। खुल के खड़े होकर ये कहना कि मेरी अंतरात्मा मेरा ईश्वर है। मेरी अंतरात्मा ही मेरे लिए ईश्वर है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जिसकी वजह से मैं... व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता था कि उनके अंदर की जो सोच थी राष्ट्र और मानवता के प्रति उसका उल्लेख होता है।

दूसरी, बड़ी चीज जिसका मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ कि उनको याद करते हुए और जो उनका योगदान है; फैडरलिज्म की हम हमेशा बात करते हैं। कहीं न कहीं जब संविधान बना और संविधान के बाद राज्यों के

अधिकार और राज्यों पर सत्ता और राज्य की उसमें भागीदारी की बात आई तो बहुत सारी चीजें रोक के रखी गई थी; फॉर अननोन रीजन्स। 1974, 1973 तक जो हमारे जो दो राष्ट्रीय पर्व होते हैं; 26 जनवरी और 15 अगस्त, उसके दौरान तिरंगा फहराने का अधिकार राज्यपालों के पास था। राज्यपाल ही फहराते थे। पहली बार 1974 में उन्होंने इसके लिए आवाज उठाकर मुख्य मंत्रियों तक ये अधिकार पहुँचाना, 1974 में उनके प्रयास से, उसके बाद से आज तक लगातार 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश के तमाम राज्यों में मुख्य मंत्री झंडा फहराते हैं। उसके पहले राज्यपाल ही ये अधिकार रखते थे। तो फैडरलिज्म की दिशा में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में लोकतंत्र की परम्पराओं को सरकार की डैमोक्रेटिक वेल्यूज को सेंटर से बाहर निकाल कर राज्यों तक लाने में बहुत बड़ा योगदान था। उसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे।

मैं इस राजनीतिक प्रतिभा के निधन पर उन्हें पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ; अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, इस सदन की तरफ से और साहित्य सिनेमा और राजनीति में उनके योगदान को याद करते हुए उनके परिवार को इस दुःख की घड़ी में सांत्वना प्रकट करता हूँ और उनके जीवन को नमन करता हूँ आभार।

अध्यक्ष महोदयः एक और संवेदना।

यह अत्यधिक दुःख का विषय है कि कल मंगलवार, दिनांक 7 अगस्त, 2018 को जम्मू-कश्मीर के गुरेज़ सेक्टर में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के दौरान सेना के मेजर कौस्तुभ और तीन जवान हमीर सिंह, विक्रमजीत और मनदीप रावत शहीद हो गये। सेना ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की

बाजी लगाने वाले इन जवानों की शहादत अनमोल है। भारतीय सेना के जवानों के साहस और बलिदान से ही हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। मैं शहीद जवानों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया।)

अध्यक्ष महोदय: ओम शांति, शांति, शांति।

माननीय सदस्यगण, श्री एम. करुणानिधि के निधन के कारण हम सब शोक संतप्त हैं और दिवंगत आत्मा के सम्मान स्वरूप सदन की कार्यवाही वीरवार, दिनांक 09 अगस्त, 2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। आज सूचीबद्ध सभी तारांकित और अतारांकित प्रश्न कल दिनांक 09 अगस्त, 2018 को पुनः सूचीबद्ध किए जाएंगे, धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही दिनांक 09.08.2018 तक के लिए स्थगित की गई।)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।
